recommendations of the Administrative Reforms Commission and reconstituted the National Development Council vide Cabinet Secretariat Resolution dated the October 7, 1967. The redefined functions of the NDC are as follows:

(i) to prescribe guidelines for the formulation of the National Plan, including the assessment of resources for the Plan;

(ii) to consider the National Plan as formulated by the Planning Commission;

(iii) to consider important questions of social and economic policy affecting national development;

(iv) to review the working of the Plan from time to time and to recommend such measures as are necessary for achieving the aims and targets set out in the National Plan, including measures to secure the active participation and co-operation of the people, improve the efficiency of the administrative services, ensure the fullest development of the less advanced regions and sections of the community and, through sacrifice borne equally by all citizens, build up resources for national development.

कपास का उत्पादन

*239. **श्री रामजीलाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक भागों, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में गत चार वर्षों से कपास की फसल को कीड़ा लगने के कारण पैदावार बहुत कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय समस्या के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) देश के वैज्ञानिकों द्वारा इस संबंध में क्या कार्य किया जा रहा है तथा क्या आगामी बुआई मौसम तक बीमारी-रहित बीज उपलब्ध करा दिए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) राज्यों में 1994-95 से 1997-98 तक कपास के उत्पादन और उपज संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (**नीचे देखिये**) वर्ष 1997-98 में देश के कुछ भागों में औसत उपज में कमी हुई है। तथापि, उपज में इस कमी का कारण केवल कीटों के आक्रमण को ही नहीं माना जा सकता।

(ख) कपास की उत्पादकता में सुधार के लिए किसानों को शिक्षित करने हेतु किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. कपास के बीजों की रोगरोधी किस्मों की बोआई के साथ-साथ उर्वरकों तथा सिंचाई का इष्टतम मात्रा में प्रयोग और जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था करना।

2. संस्तुत कीटनाशी दवाओं का सही मात्रा में प्रयोग करना।

(3) एकीकृत कीट प्रबंध कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव-नियंत्रण एजेन्टों, फैरोमोन, जैव कीटनाशकों आदि का प्रयोग।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और देश के राज्य-कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत वैज्ञानिक कपास के बीजों की रोग-रोधी किस्में विकसित करने में लगे हैं। सी०एन०एच०-1012, सी०एन०एच०-123, आर०एस०-2013 और आर०एस०-992 नामक चार समजीनियों को पत्तियां मुड़ने के रोग का प्रतिरोधी पाया गया है। इन जीवाणु-समूहों का कोयम्बटूर स्थित केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय स्टेशन की बे-मौसमी नर्सरी में बहुलीकरण किया जा रहा है ताकि आगामी मौसम में उष्ण स्थान वाले क्षेत्रों में इनका और आगे परीक्षण तथा चयन किया जा सके। रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के साथ-साथ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कपास में पत्तियां मुड़ने के रोग के वायरस जैसी बीमारियों का अध्ययन करने वाली अनुसंधान परियोजनाओं पर भी विचार कर रही है। आगामी बोआई मौसम के लिए एल०आर०के०-516, एल०आर०ए०-5166, आर०जी०-8, संकर-10, एल०एच०-1556, एफ-846, एफ-1378, एफ-1054 और एल०डी०-327 जैसी रोगरोधी किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध हैं।

विवरण

राज्य	उत्पादन (प्रत्येक 179 कि॰ ग्रा॰ की हजार गांठें)				उपज (कि॰ग्राम प्रति हैक्टे॰)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98*	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1425.6	1610.1	1848.8	1169	287	259	312	221
असम	0.8	0.0	0.8	1				
बिहार	0.5	0.1	0.0					
गुजरात	2269.3	2202.0	2657.0	2758	320	265	304	317
हरियाणा	1373.0	1283.0	1504.0	1125	419	338	394	292
हिमाचल प्रदेश	0.4	0.2	0.3					
जम्मू और कश्मीर	0.2	0.0	0.2					
कर्नाटक	822.0	849.11	932.0	812	220	214	237	303
केरल	21.8	19.4	20.2	21	269	268	279	255
मध्य प्रदेश	345.7	1423.5	437.2	907	123	140	141	301
महाराष्ट्र	2500.3	2795.8	3143.3	1860	154	155	173	101
मणिपुर	0.1	0.3	0.3					
मेघालय	5.3	5.3	5.3					
मिजोरम	2.8	2.5	2.6					
नागालैंड	0.3	0.4	0.4					
उड़ीसा	9.7	21.8	28.0	36	250	340	340	278
पंजाब	1779.0	1950.0	1925.0	908	499	442	441	213
राजस्थान	875.2	1338.3	1363.3	1389	306	375	354	396
तमिलनाडु	440.0	339.4	373.4	411	293	221	245	315
त्रिपुरा	2.4	1.7	1.6					
उत्तर प्रदेश	11.6	15.1	7.3	8	188	177	159	151
पश्चिम बंगाल	0.1	0.3	0.3					
पाण्डिचेरी	1.5	1.6	1.0					
अन्य				13				
अखिल भारत	11887.6	12860.7	14252.3	11418	257	242	266	222

*अनुमानित

Benefits to Pensioners

*240. SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI PARAG CHALIHA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have extended any benefits, apart from revision of pension, to different sets of pensioners of Central Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANEN): (a) to (c) In pursuance of the recommendations of the Fifth Central Pay Commission, apart from revision of pension, orders have been issued extending the following benefits to different categories of pensioners of the Central Government:—

(1) The minimum pension has been increased from Rs. 375/- to Rs. 1275/-